[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

संख्या 10/2024-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 मई,2024

सा.का.नि...(अ).– केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, सं. 02/2017 केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के सारणी 2 में, जो 5 अगस्त, 2023 से प्रवृत्त हुई है–

(i) क्र.सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

"7	अलवर	राजस्थान राज्य में अलवर, खैरथल- तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनु जिले तथा कोटपूतली- बेहरोड जिले की बहरोड, बानसुर, नीमराणा, मांडण और नारायणपुर तहसीलें।";

(ii) क्र.सं. 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

"49	जयपुर	राजस्थान राज्य में जयपुर, जयपुर (ग्रामीण), डुडु, अजमेर, ब्यावर, टोंक और केकडी जिले तथा कोटपूतली– बेहरोड जिले की कोटपूतली, विराटनगर और शाहपुरा तहसीलें।";

(iii) क्र.सं. 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

"53	जोधपुर	राजस्थान राज्य में जोधपुर, जोधपुर (ग्रामीण), फलौदी, नागौर, डीडवाना-कुचामन, पाली, सिरोही, जालौर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, चुरु, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले ।";

(iv) क्र.सं. 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और रखी हुई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

"102	उदयपुर	राजस्थान राज्य में उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, बरां, कोटा और झालावाड़ जिले।";

[फा.स. सीबीआईसी-20016/18/2023-जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)

निदेशक

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 02/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 609(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 05/2024- केन्द्रीय कर, तारीख 30 जनवरी, 2024 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 77(अ), तारीख 30 जनवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था ।